<u>मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की संभागीय कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 14/07/2025 को आयोजित समय-सीमा बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त सचांलक कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मंडी बोर्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक दिनांक 14-07-2025 दोपहर 12:00 बजे से आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक एवं तकनीकी कार्यालयों से कार्यपालन /सहायक यंत्री तथा संभागीय मंडी समितियों के मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई/निर्देश दिए गए :-

1.समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक अपने संभाग की मंडियों में ई-मंडी में लगने वाले समय की प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ ही आगमन एवं निकास की जानकारी का विश्लेषण करें। आगामी मासिक समीक्षा बैठक में इस विषय को बैठक एजेण्डा में रखने के निर्देश हैं।

2.समस्त मंडियों की भूमि की जानकारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराएं इस कार्य को मंडी सचिव प्राथमिक स्तर पर पूर्ण करें साथ ही संबंधित आंचलिक संयुक्त संचालक अपने संभाग अंतर्गत मंडियों के सचिवों से इस संबंध में अद्यतन स्थिति प्राप्त करें एवं आवश्यक होने पर मुख्यालय को अवगत कराएं।

3.मंडी समिति चौरई अंतर्गत शेष किसानों के भुगतान की कार्यवाही संबंधित फर्मों से 10 दिवस में पूर्ण कराने के निर्देश हैं।

4.नवीन भर्ती की कार्यवाही के लिए शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत भर्ती एजेंसी के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण के निर्देश हैं।

5.समस्त संयुक्त संचालक 07 दिवस में गोपनीय चरित्रावली अंकित कर मुख्यालय प्रेषित करें।

6.मंडियों की ग्रेडेशन की जाना है जिसके लिए समस्त मंडी सचिव बिंदुबार जानकारी भरकर 20 जुलाई 2025 तक जानकारी मुख्यालय प्रेषित करें एवं आंचलिक संयुक्त संचालक इस कार्य की समीक्षा करें।

7.समस्त मंडियों के सचिव/ तकनीकी संभाग के कार्यपालन एवं प्र. कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मंडियों का निरीक्षण करें एवं सुनिश्चित करें की वर्षा से मंडियों के अंदर पानी-भराव की स्थिति निर्मित नहीं हो, नालियां जाम न हों साथ ही मंडियों के अंदर साफ-सफाई की व्यवस्था उचित हो।

8.फल सब्जी मंडियों में कचरे के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था करें।

9.समस्त तकनीकी कार्यपालन यंत्री मंडियों के अंदर वृक्षारोपण की एवं उनके जिओ-टैगिंग की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराएं।

10.वर्तमान में विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में भेजे जाना है इस हेतु आवश्यक जानकारी समय-सीमा से पूर्व ही मुख्यालय को प्रेषित करें।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/जुलाई/2237 भोपाल, दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2. अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

3. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

4. उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक / सहायक यंत्री (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

5 कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।

6. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (समन्वय)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल